न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5838/2003/हनुमानगढ़

1— हनुमानसिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उदासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— नारायणसिंह पुत्र श्री मुकनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उदासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

.....रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः—14.02.2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2003 को अपील सं0 22/2003 में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित किया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील के सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 1/वादी सं0 1 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान अपीलार्थी/प्रतिवादी एवं राज्य सरकार के विरूद्ध सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के यहां इस आशय का प्रस्तुत किया कि रोही उदासर के साबिक खसरा नं0 65 रकबा 38 बीघा 2 बिस्वा रेस्पो0 1/वादी के पिता मुकनसिंह पुत्र छोग सिंह जाति राजपूत साकिन उदासर की सम्वत् 2012 से पहले की कब्जा काश्त की भूमि है। जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है। उक्त भूमि के पैमायश हाल में हाल खसरा नं0 210 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा में परिवर्तीत हो चुकी है। रेस्पो0 1/वादी का पिता मुकनसिंह पुत्र छोग सिंह करीब 17—18 साल पहले फौत हो चुका है और विवादित भूमि पहले रेस्पो0 1/वादी के पिता और अब रेस्पो0 1/वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है और वह उक्त भूमि पर अपने पिता की जगह खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पो0 1/वादी भूमि का

अपील डिक्री / टीए / 5838 / 2003 / हनुमानगढ़

एडर्वस पोसेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि में साबिक खसरा नं0 65 में मृतक बिडदसिंह का व हाल खसरा नं0 210 में प्रतिवादी हनुमानसिंह का नाम अमला माल व अमला पैमाइश ने कतई नाजायज बिलाहक व अधिकार गलत दर्ज कर दिया जिससे रेस्पो0 1 / वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है और रेस्पो0 1 / वादी अपने हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी व रजिस्ट्री हकदारान आदि दुरूस्त करवाने का हकदार है। वर्तमान अपीलाण्ट / प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों को अस्वीकार किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2003 द्वारा वादी / वर्तमान रेस्पोडेण्ट का दावा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 नारायणसिंह ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां पर अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2003 को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2003 अपास्त कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री तथ्यों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध है एवं काबिल निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अन्य सहकाश्तकारों के नाम से दर्ज है किन्तु वादी ने अन्य सह–काश्तकारों को अपने वाद में पक्षकार नही बनाया था इस कारण उसका दावा ही संधारण योग्य नही था इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने वादी का दावा डिक्री करने मे भारी भूल की है। उनका कथन है की अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि वादी द्वारा सम्पूर्ण खसरा की नकले प्रस्तुत नही की गयी। खसरा नं0 65 रकबा 38 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि है एवं वर्तमान में भी अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है। उनका आगे कथन है की

अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि हाल खसरा नं0 210 की भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है, वादी/रेस्पो0 का मौके पर कब्जा नही होने से वह स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है। खसरा गिरदावरी संम्वत् 2031 से 2034 में भूमि बिडदसिंह वगैराह की खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा भूमि पर संम्वत् 2012 से अपना कब्जा बताया किन्तु कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया । उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया किय विवादित भूमि सं0 2012 से पूर्व की नोतोड की हुई कब्जा काश्त की भूमि अपीलार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि है एवं उस पर अपीलार्थी काबिज चला आ रहा है। उनका कथन है की अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, आपत्तियों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन नही कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है जो कि आदेश 41 नियम 31 जा0 दी0 के प्रावधानों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है।

5— विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपलार्थी के तर्कों का विरोध करते हुये एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.11.2003 को विधिसम्मत बताते हुये कथन किया कि रेस्पो0 ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वाद को पूर्णतया साबित किया है। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 में खसरा नं0 65 की 38.2 बीघा भूमि वादी के पिता मुकन सिंह पुत्र छोग सिंह के नाम से दर्ज है व नकल गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015 प्रद्रर्श पी0 2 नकल गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 प्रदर्श पी0 3 नकल गिरदावरी सम्वत् 2010 प्रदर्श पी0 4 नकल गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2035 प्रदर्श पी0 7 में विवादित भूमि रेस्पो0 के पिता मुकन सिंह के नाम से काश्त दर्ज है। खसरा मिलान प्रदर्श पी0 5 में खसरा नं0 65 मीन की भूमि हाल खसरा नं0 210 में पैमूद होनी साबित है। वाद में कायम की गई तनकीयों में से तनकी सं0 1 से 3 को साबित करने का भार वादी/रेस्पों0 पर था जिसे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतया साबित किया है। खसरा सं0 68 की 38.2 बीघा भूमि सम्वत् 2012 में वादी के पिता मुकन सिंह के नाम से दर्ज व इसी जमाबन्दी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना चाहिए परन्तु बिना किसी आधार के भूमि अपीलार्थी/प्रतिवादी के नाम से दर्ज की गई है। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भूमि रेस्पो0 के पिता के नाम से बतौर खातेदार प्रदर्श पी0 1 में दर्ज है लेकिन बिना किसी आधार के भूमि पूर्व में

बिड़द सिंह व उसके पश्चात अपीलार्थी के नाम से दर्ज कर दी गयी। उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं.0 1 के निर्णय में भूमि पर मुकन सिंह व रेस्पो0 का कब्जा काश्त माना है परन्तु कब्जा काश्त होने के पश्चात् भी रेस्पों0 का वाद गलत रूप से खारिज किया गया था। उनका कथन है कि तनकी नं0 2 व 3 पर परीक्षण न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है जबकि तनकी नं 1 साबित होने पर तनकी नं0 2 व 3 स्वतः ही रेस्पों0 के पक्ष में निर्णित होती है। उनका कथन है की परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकीयों पर कोई विवेचन किये बगैर ही उक्त तनकीयों का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में कर दिया। उनका आगे कथन है की वाद में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी0 1 से प्रदर्श पी0 7 एवं मौखिक साक्ष्य का परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। भूमि सम्वत् 2012 में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की होनी साबित है। अतः उन्होने अपीलार्थी की अपील खारिज करने व अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2003 को यथावत रखने का निवेदन किया।

6— हमनें अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया।

7— विचारण न्यायालय ने वाद को निर्णित करने हेतु कुल 6 तनकियात कायम थी । तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक्जी0पी—1 से एक्जी0पी—7 एवं पी0डब्ल्यू0 1 से 3 के बयान कराये है । जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 एक्जी0पी01 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 65 रकबा 38.02 बीघा मुकनसिंह पुत्र छोगसिंह कौम राजपूत सा0देह के नाम दर्ज है । इसी प्रकार एक्जी0पी0 2 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2015 के कॉलम नंबर 6 में बिड़दसिंह वगैरह बशहर नं0 50/2 खुदकाश्त दर्ज है तथा आगे के कॉलमों में काश्त मुकनसिंह की दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2019, 2020 से भी काश्त वादी की ही सिद्ध होती है । साबिक खसरा नंबर 65 मी0 से हाल खसरा नंबर 210 बने है जो मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित है । खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2034 में प्रदर्श—7 में भी मुकनसिंह की काश्त होना माना है । उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित था कि वादी/रेस्पो0 साबिक खसरा नंबर 65 का खातेदार काश्तकार है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने केवल मात्र इस आधार पर

अपील डिक्री/टीए/5838/2003/हनुमानगढ़

यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की है कि वादी ने अन्य सहकाश्तकारों को वाद में पक्षकार नही बनाया है । विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी ने केवल प्रतिवादी के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा था इसलिये अन्य प्रतिवादी वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थे । वादी/रेस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पर अपना कब्जा काश्त होना साबित किया है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी/अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि संवत् 2012 अथवा उससे पूर्व विवादित भूमि में कभी भी प्रतिवादी का कब्जा रहा हो अथवा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज रही हो। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तनकी संख्या 1 दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने के बावजूद विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध पारित किया है जिसे विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री नहीं माना जा सकता है । प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श पी0 1 में भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज है व उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 210 में पैमूद होना भी साबित है । इसलिये वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है व अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है ।

8— परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2003 यथावत् रखा जाता है ।

9— पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

10— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य